

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती अमिता गर्ग, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, रसायन-विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर-पीसागन, अजमेर जन्मतिथि: 02.03.1963 ने दिनांक: 16.05.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक: 31.08.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती अमिता गर्ग, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, रसायन-विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर-पीसागन, अजमेर, पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 31.08.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमिता गर्ग के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।


(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/स्वै.से.नि./2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

दिनांक: 16/07/2020

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर-पीसागन, अजमेर।
6. श्रीमती अमिता गर्ग, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, रसायन-विज्ञान, वरि0310 पद के वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष -- 418(1)/1988-89 डीपीसी चयन वर्ष 2016-17)
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
8. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर